पर्यावरण नीति

प्रस्तावना

प्राकृतिक पर्यावरण में हर प्रकार की जीवित और निर्जीव वस्तुएं शामिल होने के साथ-साथ उन सभी जीवित प्रजाति, जलवायु, मौसम, और प्राकृतिक संसाधनों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया जिससे मानव अस्तित्व और आर्थिक गतिविधि प्रभावित होती वह भी प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। आज हमारा पर्यावरण ख़तरे में है क्योंकि मानव इतिहास में इससे पहले कभी भी इतनी तेज़ गति में प्रकृति की दुरावस्था नहीं देखी गई है, जबकि मानव गतिविधियों के कारण हुए जलवायु परिवर्तन हमेशा से ही हमारी दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा साबित होते आ रहे हैं। पिछले 65 मिलियन वर्षों में अभी इस समय पृथ्वी की जलवायु जितनी तेज़ी से गर्म हो रही है उतनी पहले कभी भी नहीं हुई है और इसका मूल कारण मानव गतिविधि है। इमारतों के निर्माण के लिए पेड़ों को काटना, प्राकृतिक निवास नष्ट करना और प्रदूषण के कारण बहुत तेज़ी से पारिस्थितिक तंत्र ख़राब होता जा रहा है जिससे पृथ्वी के इतिहास का 6ठा महान प्रजाति विलोप हो रहा है। यह गंभीर स्थिति चिंता का विषय है क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र के ख़राब होते रहने के कारण इसके द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति और दूसरे जीवों को जीवन सहारा प्रदान करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी की तापक्रम वृद्धि, अम्लीकरण और ऑक्सीजन की कमी के कारण महासागर जो कि पृथ्वी की सबसे बड़ी कार्बन हौदियां हैं उनका अस्तित्व भी ख़तरे में है। बहुत से पारिस्थितिक तंत्रों के नष्ट होने और वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र से होने वाले लाभों की समाप्ति की संभावना है। इसलिए, भविष्य में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक तौर पर तत्काल और दीर्घकालीन कदम उठाने की आवश्यकता है। हम जो खाना खाते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं और यह जलवायु जो हमारे ग्रह को रहने लायक बनाता है - ये सब प्रकृति की ही देन है।

लक्ष्य

द ग्रीन्स का लक्ष्य एक ऐसे समुदाय का निर्माण करना है जहां के लोग समझदारी के साथ पृथ्वी की पारिस्थितिक और संसाधन सीमाओं के अंदर रहे। हमारा लक्ष्य न्याय के प्रति एक समग्रतात्मक दृष्टिकोण रखना है जिसके अनुसार पर्यावरण न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए एक दूसरे के अस्तित्व का समर्थन करते हों। इसलिए, हमें अपने बीच एकता बनाकर समझना चाहिए कि हमारा स्वस्थ जीवन पृथ्वी की जीवन शक्ति, उसकी विविधता और सुंदरता पर निर्भर है और यह हमारा दायित्व है कि हम ये सब जैसा है वैसा या उससे बेहतर रूप में अगली पीढ़ी को दें।

उद्देश्य

द ग्रीन्स का उद्देश्य हमारे अनोखे प्राकृतिक वातावरण और उसके संसाधनों का ध्यान रखते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुनिश्चित रूप से इन संसाधनों की निरंतरता बनाए रखना और हमारी पृथ्वी की पारिस्थितिक अखंडता को सुरक्षित रखना है। हमारा उद्देश्य सतत विकास और पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने की ओर कदम उठाना भी है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों और पर्यावरण की रक्षा करना, उनका संरक्षण और उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य और दायित्व है।

कार्य योजना

औद्योगिक क्रांति के बाद मानव जाति द्वारा लाए गए विनाशकारी बदलाव पृथ्वी की सभ्यताओं और यहां रहने वाली ज़्यादातर प्रजातियों के अस्तित्व के लिए एक ख़तरा है। इसलिए, कार्य योजना का उद्देश्य पर्यावरण और जैव-विविधता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाना है ताकि जलवायु परिवर्तन की दर में कोई वृद्धि न हो। इसके अलावा, कार्य योजना के निर्माण के समय आर्थिक लक्ष्यों पर ध्यान न देकर वैज्ञानिक प्रमाण और स्थानीय ज्ञान के आधार पर प्रबंधन, उपयोग में बदलाव, पुनर्वास या पर्यावरण के संरक्षण संबंधित निर्णय लिए जाने हैं। इसलिए, द ग्रीन्स -

प्रकृति

- पृथ्वी पर वर्तमान हर प्रकार के जीव के जीवित रहने के अधिकार का सम्मान करेगा

- पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति के अधिकारों को एक कानूनी सिद्धांत का रूप दिया जाएगा - प्रकृति का अपने आवश्यक चक्रों को जीवित रखने, बनाए रखने और पुनः जीवित होने का अधिकार इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक और न्यायिक व्यक्तियों (कानून द्वारा अधिकृत गैर-मानव कानूनी संस्थाएं जिन्हें कानून द्वारा दायित्व और अधिकार दिए गए हैं और कानून जिन्हें वैध व्यक्ति मानता है) तथा समूहों को प्रोत्साहित करना
- पारिस्थितिकी तंत्र के अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में प्रभावी उपायों का उपयोग कर प्रकृति का संपूर्ण पुन:स्थापन करेगा और भविष्य में इस प्रकार प्रकृति के अधिकारों के हनन को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा।
- मानव जाति की विभिन्न पीढ़ियों के प्रति न्याय भावना, जैव-विविधता संरक्षण और स्वदेशी तथा पारंपरिक स्वामित्व के विषय को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का प्रबंधन करेगा
- देश के मूल निवासियों को उनकी भूमि, जल और आकाश के असल संरक्षक मानते हुए उनके सांस्कृतिक ज्ञान का सम्मान करेगा
- परिपक्व वन पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा वन्यजीवों के निवासस्थानों को बनाए रखने के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारेगा जिसमें कार्बन संग्रहण, जल आपूर्ति, मिट्टी की गुणवत्ता और उसे रोककर रखना, मनोरंजन और पर्यटन शामिल हैं
- ऐसी गतिविधियां जिनके कारण प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं उनके लिए एहतियाती उपाय अपनाएगा और उनके विरुद्ध प्रतिबंध लागू करेगा
- पर्यावरण के संरक्षण और स्थिर जलवायु प्रणाली बनाए रखने के लिए विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि की दर को कम करेगा
- यूनेस्को (UNESCO) क्षेत्रों और प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र जैसे जंगलों और राष्ट्रीय उद्यानों को सुरक्षित रखेगा और इन क्षेत्रों में खनन और पेड़ काटने की गतिविधियों पर रोक लगाएगा
- वन और भूमि पर वर्तमान पेड़ों की कटाई को कम करेगा और अवैध पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं
- वन्यजीव व्यापार और अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाएगा
- ऐसे उपायों का पालन करेगा जिससे जलवायु तापन की दर को घटाया जा सके, पारिस्थितिक तंत्र बेहतर बने और अधिकतम 1.5 डिग्री के जलवायु परिवर्तन लक्ष्य का पालन हो सके
- महासागर संबंधित मुद्दे जैसे तापक्रम वृद्धि, अम्लीकरण, डीऑक्सीजिनेशन (महासागरों में ऑक्सीजन की कमी) और महासागरों के निवासस्थानों के विनाश को दूर करने के उपायों को लागू करेगा

पर्यावरण और जैव-विविधता

- सुनिश्चित करना कि लोग, व्यक्ति, समुदाय और विभिन्न समाजों को प्राकृतिक वातावरण तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार मिले
- पर्यावरण पर हुए गंभीर या स्थायी नकारात्मक प्रभावों के मामलों में जिनमें प्राकृतिक अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग से हुए हानिकारक परिणाम शामिल हैं, उन परिणामों को खत्म करने या उन्हें कम करने के लिए उचित कदम उठाएंगे।
- पर्यावरण की रक्षा और उसे संभालने के लिए योजनों को लागू और सार्वजनिक, स्थानीय और अन्य सरकारी निकायों की भागीदारी के लिए पूंजी निवेश कर उन्हें प्रोत्साहित और उन्हें सशक्त बनाएंगे
- जलवायु परिवर्तन की दर को कम करने के लिए वैश्विक अनुबंधों और उनके लक्ष्यों के अनुरूप प्रभावी कदम उठाएंगे
- एक अनुकूलन योजना बनाएंगे जिसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित देशों में सुधारात्मक उपाय लागू कर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी
- पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने के संबंध में व्यापक कार्यक्रम लागू किए जाएंगे और प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रमों तथा तृतीय श्रेणी की संस्थाओं में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य विषय घोषित किया जाएगा
- पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की ओर उचित कदम उठाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किए जाएंगे

- पर्यावरण और जैव-विविधता कानूनों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कानून पालन करने के लिए दबाव बनाया जाएगा और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा; साथ ही, पर्यावरण प्रदूषण और उत्सर्जन के विषय में कड़े मापदंड निर्धारित किए जाएंगे
- सफ़ाई के लिए ज़िम्मेदार उद्योग या सरकारी निकायों द्वारा डिकमीशन छलकाव, दुर्घटना, खनन के बाद बचे हुए अवशेष जैसे अपशिष्टों की सफ़ाई सुनिश्चित करेगा
- पर्यावरण सुरक्षा हेतु कानूनी सहायता निधि में बढ़ोतरी करेगा
- सुनिश्चित करेगा कि नीति कथन और पर्यावरण मापदंड स्थानीय निर्णयों के अनुरूप हैं
- वायु गुणवत्ता को ख़राब करने, स्वास्थ्य समस्याओं के लिए ज़िम्मेदार और संसाधनों के शोषण से होने वाले अनुचित विकास की गति को कमज़ोर करेगा
- पर्यावरण संबंधी ख़तरों के दौरान सुनिश्चित करेगा कि कम आय वाले नागरिकों और अल्पसंख्यकों को दूसरों से ज़्यादा कष्ट न सहना पड़े
- तुरंत वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारी कटौती लाना शुरू करेगा और इनसे जलवायु को सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रासंगिक क्षेत्रों और संगठनों को सहयोगात्मक तथा महत्वाकांक्षी कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- जलवायु विज्ञान और जैव-विविधता जैसे मुद्दों के प्रति लोगों का विश्वास जीतेगा और इस ओर शिक्षा की नींव रखेगा
- जैव-विविधता के विषय में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के लक्ष्यों के अनुरूप चलते हुए नए वैश्विक पर्यावरण कार्यसूची तैयार करेगा - सतत विकास के अंतर्गत पर्यावरण पहलू के सुसंगत कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देगा
- राष्ट्रों और लोगों को पर्यावरण की देखभाल करने के विषय में मार्गदर्शन प्रदान करेगा, साझेदारी के लिए प्रेरित करेगा और पर्यावरण के बारे में जागरूक करेगा; साथ ही, उन्हें इतना सक्षम बनाएगा कि वे भविष्य की पीढ़ियों की जीवन गुणवत्ता कम किए बिना अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे
- सभी सार्वजनिक निकायों और व्यवसायों के लिए अपनी जलवायु अनुकूलन योजनाओं को परिभाषित करना अनिवार्य कर दिया जाएगा
- सार्वजनिक परिवहन प्रणाली/नेटवर्क में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से क्रांति लाएगा
- लोगों को उद्योग, सरकार और विनिर्माण प्रक्रियाओं द्वारा प्रदूषण रजिस्टर उपलब्ध कराएगा
- पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने वाले सिद्धांतों को कानून बनाएगा और सरकारी प्रक्रियाएं स्थापित कर उन्हें लागू करेगा
- सरकार को स्वतंत्र और समुदाय की ओर से सलाह प्रदान करेगा और कॉर्पोरेट या विदेशी सरकारी दान पर रोक लगाएगा
- विस्तारित नियामक दायित्व सुनिश्चित करेगा जिसमें पेड़ काटना, तेज़ी से फ़ैलने वाली प्रजातियां, वायु प्रदूषण, आदि शामिल हैं।
- योजना चक्र के दौरान परामर्श प्रक्रियाओं समेत निर्णय लेने की दूसरी प्रकियाओं में समुदाय के लोगों की पहुंच बढ़ाएगा

वहनीयता

- प्राकृतिक संसाधनों की वहनीयता, नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग में बढ़ोतरी और पुनर्चक्रण के विषय में उचित कदम उठाएगा तथा उपभोग की आदतों को कम करते हुए पुन: उपयोग की ओर पहल करेगा
- योजना के मूल्यांकन और उसे लागू करते समय शुद्ध पर्यावरण और अच्छे स्वास्थ्य सुनिश्चित करने वाले कारकों को प्रधानता देगा
- स्थिर भविष्य हेतु सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए कार्य करेगा जिसके दौरान सफ़ाई प्रक्रिया जैसे पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों का उपयोग किया जाएगा
- सुनिश्चित करेगा कि लोगों का प्रदूषण संबंधी स्वास्थ्य और पर्यावरण के पहलूओं के बारे में जानने का अधिकार सुरक्षित रहे
- सभी सार्वजनिक योजना निर्णयों में पर्यावरण पर प्रभाव और सुधार विश्लेषण शामिल करेगा

- कीट पौधे, जानवर और बीमारियों की रोकथाम के लिए जैव-सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करेगा
- बीज और वनस्पतियों को उनकी उत्पत्ति केन्द्रों में सुरक्षित रखेगा

न्याय

- न्याय के प्रति एक समग्रतात्मक दृष्टिकोण रखना है जिसके अनुसार पर्यावरण न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए एक दूसरे के अस्तित्व का समर्थन करते हों।
- लिंग, देश के मूल निवासियों के ज्ञान और सांस्कृतिक पहलुओं पर विचार कर पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटेगा
- पर्यावरण के विरुद्ध अपराधों के मुकदमे दर्ज करने और कानून को संपूर्ण रूप से लागू करने के लिए कड़े कानून बनाने के लिए और अधिक प्रयास करेगा
- उत्सर्जन घटाने, जलवायु वित्त, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संबंध में यूएनएफसीसीसी (UNFCCC) पैरिस समझौते की प्रतिबद्धता बढ़ाएगा
- कार्बन हौदी तथा वन, तट और मुहाना क्षेत्र जैसे जलाशयों को सुरक्षित रखने और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुबंध की वकालत करेगा
- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करते हुए उन्हें लागू करेगा

न्यूनीकरण

- छोटा परिवार बनाए रखना, वृत्ताकार अर्थव्यवस्था का निर्माण, कम कार्बन वाले उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं का उपयोग करना और सीमित उपभोग जैसी आदतों को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगा
- ऊर्जा की मांग को कम कर कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को कम करेगा
- ख़ास तौर पर अंतरिक्ष हीटिंग, यात्रा और मांस के उपभोग जैसे उच्च कार्बन उत्पादों और सेवाओं की मांग को कम करेगा
- संपूर्ण समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्बन कर लागू करना और संभवतः कार्बन उपयोग नियंत्रित करना
- सुनिश्चित करना कि परिवहन और मूल व्यवस्था नीतियां पर्यावरण में हवा की शुद्धता और ईंधन दक्षता के मापदंडों को बनाकर रखती हों

प्रदूषण

- प्रदूषण फ़ैलाने वाले व्यक्ति और संगठनों को प्रदूषण फ़ैलाने के लिए ज़िम्मेदार ठहराएगा और इसके लिए उन्हें दंडित करेगा
- उद्योगों के लिए नियमानुसार लेखा-परीक्षा (ऑडिट) कर विषैले रसायनों के उपयोग विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य करेगा और ऐसे उपयोगों को घटाने हेतु उद्योगों के लिए आवश्यक समयसारणी (टाइम टेबल) की स्थापना करेगा
- निश्चित रूप से लोगों को रासायनिक उपयोग और उत्सर्जन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा
- विनिर्माण उद्योग, चिकित्सा स्रोतों और परमाणु ऊर्जा से प्राप्त सभी रेडियोसक्रिय अपशिष्ट को नियंत्रित करने, उसके भंडारण और उस पर निगरानी रखने का दायित्व लेगा
- एक वृत्ताकार अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए विषैले रसायनों के उपयोग और उत्पादन के बाद निकलने वाले अपशिष्ट की मात्रा को कम करेगा
- संगठनों के लिए अपशिष्ट की गुणवत्ता और मात्रा के रिकॉर्ड बनाकर रखना अनिवार्य कर देगा
- संपूर्ण मलजल को पुन:चक्रित (रीसायकल) करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि कोई भी विषैला पदार्थ सार्वजनिक नाली व्यवस्था में नहीं जाएगा
- पर्यावरण में प्रदूषण फ़ैलने और फिर, उसका प्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए ख़तरा बने रहने की रोकथाम करने के लिए निश्चित रूप से उचित कदम उठाएगा

खनन, अपशिष्ट और विषैले रसायन

- प्रकृति में ख़तरनाक अपशिष्ट और रसायनों के उत्सर्जन के लिए जो उद्योग ज़िम्मेदार होंगे उनसे कर लेगा और उन्हें दंडित करेगा
- जो उद्योग ख़तरनाक अपशिष्ट उत्सर्जन को कम करने की और कदम उठाएंगे उन्हें पुरस्कार या आर्थिक सहायता (सब्सिडी) देगा
- ख़तरनाक पदार्थों में वर्तमान विष की मात्रा के अनुसार उन पर कर लगाएगा
- उपचार, पुनर्संसाधन या निपटान के लिए विषैले, ख़तरनाक या रेडियोसक्रिय अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा
- वातावरण में प्राकृतिक रूप से न सड़ने वाले पदार्थों (पीओपी) (POPs) को चरनबद्ध तरीके से हटाएगा
- पर्यावरण में ख़तरनाक रसायनों और सामग्रियों को छोड़ना रोकेगा और संभव होने पर, नकारात्मक रूप से प्रभावित वातावरणों का पुनर्वास करेगा
- कोई नई कोयला खदान खोलने या गहरे सागर में तेल और गैस की खोज करने की अनुमति नहीं देगा
- वर्तमान कोयला खदानों को अपने संचालन बंद करने के लिए समय सीमा देगा
- सुनिश्चित करेगा कि उद्योग अपने उत्पादों के जीवन-चक्र और पैकेजिंग का दायित्व ले
- विभिन्न यूनियनों और उद्योगों के साथ काम कर कार्यस्थलों में हानिकारक रसायनों के उपयोग को घटाएगा
- प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करेगा ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन मौजूद रहे
- अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधियों के अंतर्गत जो दायित्व हैं उन्हें घरेलू कानून में परिभाषित करेगा
- राष्ट्रीय उद्यानों और आरक्षित व्यवस्थाओं को शक्तिशाली बनाएगा जो हर एक अलग प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का व्यापक और पर्याप्त उदाहरण है

ऊर्जा

- सामान्य नागरिकों के आचरण में सकारात्मक बदलाव लाएगा और पर्याप्त मात्रा में राज्य वित्त पोषण सुनिश्चित कर और परिवर्तन कार्यक्रम का आयोजन कर घरेलू कार्बन उत्सर्जन घटाएगा
- ऊर्जा दक्षता के मापदंडों को निर्धारित करेगा और सभी क्षेत्र, ख़ासकर उद्योग, परिवहन और घरों में ऊर्जा दक्षता के लिए निवेश करेगा (जिसमें रेट्रोफिटिंग के लिए निवेश शामिल है)
- सरकार के विभिन्न स्तरों पर नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उनका समर्थन करेगा

वित्त

- वित्त क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन लाने की दीर्घकालिक सोच को प्रोत्साहन देगा
- सभी निवेशों के विषय में जलवायु से संबंधित जोखिमों के पूर्ण प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाएगा
- सीमित संसाधनों और असमानता के मुद्दों को पहचानकर एक सतत वित्तीय व्यवस्था स्थापित करेगा
- पर्यावरण संबंधी प्रगतिशील समाधानों को बढ़ावा देगा और सतत खपत तथा सतत उत्पादन पैटर्न अपनाएगा
- एक वृत्ताकार अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हुए अपशिष्ट की मात्रा कम करने के उपायों, पुनर्चक्रण और पुन:प्रयोग क्षेत्रों में निवेश करेगा

संस्था द्वारा समर्थन

- उचित शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल, तकनीक, मूलभूत सुविधाएं, संसाधन उपयोग करने के अवसर और पर्यावरण प्रबंधन क्षमताओं के विषय में जानकारी की आवश्यकता को समझेगा
- सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण की सुरक्षा और जैव-विविधता के संरक्षण के विषय में शोध और विकास को प्रोत्साहन देने और उसे संपूर्ण बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकाय का निर्माण करेगा

- नए और जानेमाने उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं पर निगरानी रखने, उन्हें स्वीकृति देने और उन्हें लाइसेंस प्रदान करने के लिए व्यवस्था स्थापित करेगा
- बिक्री के लिए निर्मित सभी उत्पादों की संपूर्ण लेबलिंग हेतु निर्माताओं और ज़िला अधिकारियों को दिशानिर्देश प्रदान करेगा
- कर्मचारी जोखिम और अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी सांख्यिकीय जानकारी (स्टेटिस्टिकल जानकारी) सार्वजनिक रजिस्टर द्वारा अनुरोध पर उपलब्ध कराएगा
- एक कूटनीतिक जलवायु आपातकालीन एजेंसी का निर्माण करेगा जो प्रत्यक्ष रूप से राज प्रमुख के सामने जवाबदेह होगा; इस एजेंसी के पास वीटो की शक्ति होगी जिसका उपयोग कर वह सरकार की उन नीतियों पर रोक लगा सकेगा जो जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के अनुरूप नहीं होंगे
- पारिस्थितिक शुद्धता के विनाश और उसे सुरक्षित रखने संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पारिस्थितिक तंत्र को वहनीय बनाने वाली संस्थाओं की स्थापना करेंगे
- यूनेस्को (UNESCO) की पहल और विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों का समर्थन करेंगे

दूसरे उपाय

- सभी नागरिकों के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और पानी बचाने तथा पानी की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने के उपायों को बढ़ावा देना
- अपशिष्ट पुन:प्राप्ति उद्योग को बढ़ाने हेतु आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहयता प्रदान करना
- जलमार्ग और ऐक्वीफ़रों में, हवा में, और भूमि पर प्रदूषण की मात्रा घटाने के लिए राष्ट्रीय मापदंडों को लागू करना
- नदी, जलमयभूमि में वर्तमान निवास स्थान और महासागरों को क्षति और प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण समेत दूसरे प्रकार के प्रदूषणों से बचाने के लिए उचित कदम उठाएगा
- सभी पुराने वनों की रक्षा करेगा
- सार्वजनिक आर्थिक सहयता, बड़े पैमाने पर आयोजित निजी सिंचाई योजनाएं और जल भंडारण पर रोक लगाएगा या जल संसाधनों के विदेशी स्वामित्व को खत्म करेगा
- जब तक किसी बॉटलिंग प्लांट की वहनीयता और लाभ साबित नहीं हो जाते तब तक उसकी स्थापना के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी
- ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाओं को बढ़ावा देगा जो पुन:चक्रित (रीसायकल) सामग्री का उपयोग करती हों क्योंकि प्राथमिक प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करने वाली प्रक्रियाओं के मुकाबले पुनर्चक्रण पर आधारित प्रक्रियाओं को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है
- सुनिश्चित करेगा कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की लागत में उनके संकर्षण या कटाई, प्रक्रमण और निपटान संबंधी पर्यावरण लागतों को भी शामिल किया जा रहा हो
- संसाधनों की वैश्विक उपलब्धता निर्धारित करेगा और उनके सतत उपभोग प्रक्रिया की पहचान करेगा
- सभी प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग को घटाएगा, ख़ासकर उन अनवीकरणीय संसाधनों की जिनकी आपूर्ति कम होती जा रही है
- सौर विकिरण प्रबंधन और कृत्रिम मांस जैसी मुख्य उभरती तकनीकों के शोध और विकास कार्यों तथाआरंभिक योजनाओं में निवेश करेगा
- मछलियों के प्रजनन क्षेत्रों को सुरक्षित रखने समेत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मछली पालन का सतत प्रबंधन सुनिश्चित करेगा
- सघन खेती की रोकथाम करेगा और छोटे पैमाने पर खेती को बढ़ावा देते हुए कीटनाशकों के उपयोग को कम करेगा
- जहां संभव हो वहां की भूमियों का पुनर्वासन कर उन्हें उनकी असल स्थिति में लौटाएगा

संदर्भ:

https://www.cagreens.org/platform/environmental-justice
https://greens.org.au/policies/environmental-principles

https://www.unenvironment.org/about-un-environment/policies-and-strategies/un-environment-strategy-environmental-education-and
https://www.ccacoalition.org/en/partners/united-nations-environment-programme-unep
https://policy.greenparty.org.uk/pl.html
https://www.greenparty.ie/policies/waste-water/
https://policy.greenparty.org.uk/nr.html
https://www.cagreens.org/platform/environmental-justice
https://news.un.org/en/story/2019/06/1039831
https://unfccc.int/news/un-environment-assembly-commits-to-pollution-free-planet
https://www.greens.org.nz/environmental_protection_policy
https://policy.greenparty.org.uk/cc.html
https://indiagreensparty.org/policies/environment/
https://www.unenvironment.org/
https://www.unenvironment.org/global-environment-outlook/geo-6-process
https://www.unenvironment.org/annualreport/2019/index.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment
https://www.globalgreens.org/Charter-Statutes-Rules
https://climateandcapitalism.com/2013/10/14/oceans-brink-ecological-collapse/